देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....449..... / भू अ0 दिनांक : 10/5/018

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–बाघमारा, थाना–देवघर, थाना सं०– 419, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर अंतर्राज्यीय बस पड़ाव (ISBT) निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–बाघमारा, थाना–देवघर, थाना सं०–419, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.75** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	104	रैयती	बाड़ी–2	0.75	त्रिलोचन यादव पे० अर्जून महतो वो गिरधारी यादव वो रविन्द्र यादव पे० शिव प्रसाद यादव वो विश्वनाथ यादव पे० चतुर्भुज महतो वो ब्रहमदेव यादव वो प्रकाश यादव पे० दिनेश्वर यादव वो महेश्वर यादव वो कमलेश्वर यादव पे० महावीर यादव वो माला देवी पति दिलीप यादव वो श्रीकान्त यादव पे० गोविन्द यादव वो राजेन्द्र यादव वो डमरू यादव पे० नन्द कुमार महतो वो रमेश यादव वो प्रमोद यादव पे० जगदीश महतो वो मुकुद मुरारी यादव पे० चन्दकिशोर महतो वो राजकिशोर यादव वो सुभाष यादव पे० अनन्त लाल यादव वो बबलू यादव वो डबलु यादव वो हिटलर यादव पे० चिन्तामणी यादव वो त्रिपुरारी महतो वो विश्वनाथ महतो वो काशी महतो वो कैलाश महतो पे० बलभद्र यादव वो विनोद यादव वो देवेन्द्र यादव वो विवेक यादव पे० हरि महतो वो नारायण यादव वो सत्यनारायण यादव वो बासुदेव यादव वो नंदकिशोर यादव वो तेजनारायण पे० बद्री महतो वो उमेशचन्द्र यादव वो टाकेश्वर यादव पे० गणेश महतो वो नरेश यादव वो रमेश यादव वो किरण यादव वो राजीव रंजन यादव वो रमावतार यादव पे० शिवशंकर यादव वो भगवती देवी पति विनोद यादव वो सुमेश्वर यादव वो अशोक यादव पे० परशुराम अंश समान सा० देह।	दाग नं०– 98	दाग नं०– 106	सड़क	दाग नं०– 106
				कुल रकवा–	**0.75**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

10/5/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 449 / भू अ०, देवघर, दिनांक 10/5/018

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

10/5/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।